

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 1 के अन्तर्गत

प्रपत्र एक

1. आवेदक का नाम मनोज कुमार

2. पता जिस पर जानकारी प्रेषित की जानी है:- मनोज कुमार द्वारा त्रिमूर्ति सेल्स कारपोरेशन, 107 पुरानी धान मण्डी, श्रीगंगानगर, राजस्थान।

3. दूरभाष

4. आवेदन देने की दिनांक 11.06.2015

5. कार्यालय का नाम NSIC जई दिल्ली

6. चाही गई जानकारी का विवरण

1. आपके विभाग द्वारा कौन-कौन से लघु व दीर्घ स्तर के तकनीकी ज्ञान, कौशल ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान व अन्य पर आधारित पाठ्यक्रम या सेमिनार/कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं की पूरी जानकारी दें।

2. बिन्दु संख्या 1 के कार्यक्रम को चलाने के लिए कौन सी संस्थाएं मान्य है व उनकी क्या योग्यता है, संस्था को कोई मान्यता की आवश्यकता है तो इसका क्या नियम है कि पूरी जानकारी दें।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त क्या-क्या योजनाएं चलाई जा रही, पूरी जानकारी दें, उपरोक्त पाठ्यक्रमों को करने के लिए अभ्यर्थी की क्या योग्यता होनी चाहिए व क्या शुल्क है,

4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, सामान्य वर्ग, विकलांग, अल्पसंख्यक, प्रतिभावान, बी पर एल खेलों में रूचि रखने वाले व सामान्य वर्ग के छात्र व छात्राओं आदि के लिए आई टी आई करने पर छात्रवृत्ति देने का क्या प्रावधान है, कितनी राशि दी जाती है, इसे प्राप्त करने के लिए कौन-2 योग्य हैं, पूरी जानकारी दें।

5. यदि छात्रवृत्ति लेने के लिए आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन करते समय कोई कमी रह जाती है या स्लंगन दस्तावेजों को स्कैन करते समय कोई कमी रहने पर या अन्य कमी होने पर उसे पूरा करने का क्या नियम है व उसे कब तक पूरा किया जा सकता है, पूरी जानकारी दें।

6. आपके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए विभाग के नियमों की जानकारी जनहित के लिए विभिन्न माध्यमों के द्वारा जैसे फ्लैक्स, पम्फ्लैट, सेमिनार, नाटक आदि द्वारा देना चाहे तो क्या आपका विभाग किसी एन जी ओ के साथ काम कर सकता है पूरी जानकारी नियम सहित दें।

7. विभाग से कोई भी सूचना मेरे ईमेल आई डी पर या सीडी में सॉफ्ट कोपी के रूप में भेजने के लिए क्या नियम है, पूरी जानकारी दें।

8. यदि आप उक्त सूचनाएं नहीं दे सकते तो बताएं कि उक्त जानकारी किससे प्राप्त होगी व आप अपीलिय सूचना अधिकारी की पूर्ण जानकारी दें, विभागीय वेबसाइट बताएं।

9. यदि उक्त सूचनाएं आपके पास नहीं है तो भी आप संबंधित कार्यालय से सूचना एकत्र कर भेजें व पत्र की पावती भिजवाएं। पत्र की पावती भिजवाएं।

7. रिकार्ड/सूचना की प्रमाणित प्रति चाहिए

8. 10 रु प्रोसेस फीस बीपीएल को देय नहीं है

9. आवेदक गरीबी रेखा से नीचे है व बीपीएल न. 166 हैं, प्रति स्लंगन हैं।

हस्ताक्षर
आवेदन कर्ता

बीपीएल को डाक व्यय देय नहीं है इसलिए डाक टिकट युक्त लिफाफा नहीं भेजा जा रहा है।

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने की दिनांक

2. आवेदन कर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु स्थापित होने की दिनांक

3. संबंधित शाखा अधिकारी जहां से सूचना प्राप्त होगी:

लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत

दिनांक.....

पदनाम

रबड़ सी